

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3--ठप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1180] No. 1180] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 10, 2005/कार्तिक 19, 1927 NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 10, 2005/KARTIKA 19, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सङ्क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

(पी एण्ड एम सेक्शन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2005

का.आ. 1584(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) तारीख 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,—

अनुसूची-

क्या सं	राष्ट्रीय राजमार्ग का वर्णन	राज्य सरकार का नाम
क्रम स. 8.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 10, सं. 21क, सं. 22(5.735 कि.मी. से 10.890 कि.मी. को छोड़कर) सं. 64, सं. 65, सं. 71, सं. 71ख, सं. 72 और सं. 73 हरियाणा	
	65, स. 71, स. 71ख, स. 72 जार स. 76 स. राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 71क	

(ख) क्रम सं. 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :-

	राष्ट्रीय राजमार्ग का वर्णन	राज्य सरकार का नाम
क्रम सं. 13.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.3 [12.60 कि.मी. से 84.70 कि.मी. (इंदौर-कालघाट), 60.000 कि.मी. से 103.000 कि.मी. तक (राजस्थान/मध्यप्रदेश सीमा से ग्वालियर) और 319.700 कि.मी. से 332.100 कि.मी. (गुना-बाईपास), राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7[400.544 कि.मी. से 651.500 कि.मी. तक (लखनादोन से मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा) को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 12 सं. 12क, सं.	

27 सं 59 सं ६० और मं ७६ । ०००० कि क	
00.000 11 = (
90.000 कि.मा. तक (ग्वालियर स मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश	
सीमा) को छोड़कर] और सं. 76 [0.000 कि.मी. से	
30.000 कि.मी. तक (मध्य प्रदेश से राजस्थान सीमा से	
शिवपुरी) को छोड़कर] , राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 78. सं	
79, सं. 86 और सं. 92, मध्य प्रदेश राज्य के भीतर	
स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 59क ।	
	27, सं. 59, सं. 69 और सं. 75 [0.000 कि.मी. से 90.000 कि.मी. तक (ग्वालियर से मध्य प्रदेश/उत्तर प्रदेश सीमा) को छोड़कर] और सं. 76 [0.000 कि.मी. से 30.000 कि.मी. तक (मध्य प्रदेश से राजस्थान सीमा से शिवपुरी) को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 78, सं. 79, सं. 86 और सं. 92, मध्य प्रदेश राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 59क।

(ग) क्रम सं. 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :-

क्रम सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का वर्णन	राज्य सरकार का नाम
14.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3[561.0 कि.मी. से 585.0 कि.मी. से रा.रा. 4 सिहत जंक्शन से मुम्बई तक और 380.00 कि.मी. से 265.00. (पिंपलागांव-धुले) तथा 539.500 कि.मी. से 440.000 कि.मी. (वाडपे-गोंडे) तक को छोड़कर], सं.6 [9.20 कि.मी. से 100.00 कि.मी. (नागपुर-तालेगांव) को छोड़कर] और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 9 [149.80 कि.मी. से. 166.0 कि.मी. तक (अमरावती बाईपास)] राष्ट्रीय राजमार्ग सं.9, सं. 13, सं. 17, सं. 69 और सं. 222 महाराष्ट्र राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 50[12.190 कि.मी. से 42.000 कि.मी. तक (पुणे-नासिक सेक्शन) को छोड़कर], सं. 204 तथा सं. 211	महाराष्ट्र राज्य सरकार

(घ) क्रम सं. 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :-अनुसूची

क्रम सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का वर्णन	राज्य सरकार का नाम
20.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1 [212.000 कि.मी. से 387.100 कि.मी. तक (हरियाणा/पंजाब सीमा से जालंधर), 407.100 कि.मी. से 456.100(जालंधर-अमृतसर) को छोड़कर], राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 10, सं. 15, सं. 20, सं. 21(0000 कि.मी. से 0.870 कि.मी. को छोड़कर), सं. 22 [10.890 कि.मी. से 39.960 कि.मी.) को छोड़कर], सं. 64, सं. 70 और सं. 71 पंजाब राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 95	पंजाब राज्य सरकार

(ঙ) क्रम सं. 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :-

क्रम सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का वर्णन	राज्य सरकार का नाम
21.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 [किशनगढ़ से अजमेर तक	राजस्थान राज्य सरकार
	(366 कि.मी. सं 396 कि.मी. तक और अजमेर से	
	उदयपुर तक (०.कि.मी. से 263.500 कि.मी. तक)],	
	सं. 11 [63.600 कि.मी. से 228.000 कि.मी. तक	
	(भरतपुर-महुआ-जयपुर) को छोडकर] ,सं. 12 , सं. 14	·
	[246.800 कि.मी. से 306.000 कि.मी. तक	
	(पिंडवाड़ा-राजस्थान/गुजरात सीमा सेक्शन) को	
	छोड़कर] ,सं. 15, सं. 65, सं. 79 (नजीराबाद से	
	चित्तोडगढ़ सेक्शन को छोड़कर) और सं. 113	
	राजस्थान राज्य के भीतर स्थित भाग तक राष्ट्रीय	
	राजमार्ग सं. 11क, सं. 11ख, सं. 89, सं. 90, सं.	
	112, सं. 114 और सं. 116	

(च) क्रम सं. 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्:—

क्रम सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का वर्णन	राज्य सरकार का नाम
24.	राष्ट्रीय राजामार्ग सं. २क, सं. ७, सं. ११[17.756कि.मी.	उत्तर प्रदेश राज्य सरकार
	से 42.525 कि.मी. तक (आगरा-उ.प्र./राजस्थान सीमा)को	
	छोड़कर] ,सं. 19, सं. 24 [27.62 कि.मी. से 166.65	·
	कि.मी. तक (गाजियाबाद से मुरादाबाद तक जिसमें हापुड़	
	और मुरादाबाद बाईपास भी सम्मिलित है) तथा	·
	180.325कि.मी. पर आरओबी को छोड़कर] और	
	488.27कि.मी. से 413.20 किमी. (लखनऊ-सीतापुर),	
	सं. 27 [0.000 कि.मी. (रा.सं. 2 के 211.700	
	कि.मी.) से 5.410 कि.मी. (रा.रा.सं. 27 के नए	
	रेखांकन) को छोड़कर] , सं. 28ख, सं. 58 [52.250	
	कि.मी. से 131.000 कि.मी. तक (मेरट-मुजफ्फरनगर)	
	को छोड़कर] , सं. 72क, सं. 73, सं. 74, सं. 76	
	[90.00 कि.मी. से 103. 00 कि.मी.तुक (मध्यप्रदेश/उत्तर	
	प्रदेश सीमा से झांसी तक के सेक्शन) को छोड़कर],	
-	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 76, सं. 86, 🕏 87 (8 कि.मी. पर	

छोटे सेतु और 30.050 कि.मी. पर मुख्य सेतु को
छोड़कर), सं. 92, सं. 119 उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर
स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24क, सं. 29
(गोरखपुर-फरेंडा-सोनौली सेक्शन को छोड़कर), सं. 56,
सं. 91, सं. 91क, सं. 93, सं. 96 और राष्ट्रीय राजमार्ग
सं. 97 ।

[फा, सं. रा.रा.-14012/16/2005-पीएण्डएम]

प्रभाकर, उप सचिव

पाद टिप्पणः मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. सं. 1096(अ) तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् का.आ. सं. 1398 (अ) तारीख 27 सितंबर, 2005 द्वारा संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

(P and M SECTION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2005

S.O. 1584(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification Of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways number S.O. 1096 (E), dated the 4th August 2005, namely:

In the Schedule to the said notification: -

(a) for serial number 8 and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely: -

SCHEDULE

Serial Number	Description of National Highway	Name of the State Government
8	So much of National Highways No. 10, No.21A, No.22 (excluding from Km	State
	5.735 to km 10.890 km), No.64, No.65, No.71, No.71B, No.72 and No.73 as	Government
	are situated within the State of Haryana and National Highway No. 71A.	of Haryana

(b) for serial number 13 and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely: -

Serial Number	Description of National Highway	Name of the State Government
13	So much of National Highway No.3 [excluding from Km 12.60 to 84.70 (Indore -Kalghat), Km. 60.000 to Km. 103.000 (Rajasthan/Madhya Pradesh Border to Gwalior) and from Km. 319.700 to Km. 332.100 (Guna Bypass)], National Highways No.7 [excluding from Km. 400.544 to Km. 651.500 (Lakhnadon to Madhya Pradesh/Maharashtra Border)], National Highway No.12, No.12A, No.27, No.59, No.69 and No.75 [excluding from Km. 0.000 to Km. 90.000 (from Gwalior to Madhya Pradesh/Uttar Pradesh Border)] and No.76 [excluding from Km. 0.000 to Km. 30.000 (Madhya Pradesh to Rajasthan Border to Shivpuri)], National Highway No.78, No.79, No.86 and No.92 as are situated within the State of Madhya Pradesh and National Highway No.59A.	State Government of Madhya Pradesh

(c) for serial number 14 and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely: -

Serial Number	Description of National Highway	Name of the State Government
14	So much of National Highway No.3 [excluding from Km. 561.0 to Km.	State
	585.0 from Junction with NH 4 to Mumbai, from Km. 380.000 to Km.	Government
	265.000 (Pimplagaon-Dhule) and Km 539.500 to Km 440.000 (Vadape-	of
	Gonde)], No.6 [excluding from Km 9.20 to Km100.00 (Nagpur-Talegaon)]	Maharashtra
	and Km. 149.80 to Km. 166.0 (Amravati bypass), National Highway No.9,	
	No.13, No.17, No.69 and No.222 as are situated within the State of	
	Maharashtra and National Highway No.50 [excluding from Km.12.190 to	
	Km.42.000 (Pune-Nasik section)], No.204 and No.211.	

(d) for serial number 20 and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely: -

SCHEDULE

Serial Number	Description of National Highway	Name of the State Government
20	So much of National Highway No.1 [excluding from Km. 212.000 to Km.387.100 (Haryana/Punjab Border to Jalandhar), from Km.407.100 to	
	Km.456.100 (Jalandhar - Amritsar)] National Highway No.10, No.15, No.20, No.21 (excluding from km.0.000 to km 0.870) No.22 [excluding from km.10.890 to km 39.960)] No.64, No.70 and No.71 as are situated within the State of Punjab and National Highway No.95.	

(e) for serial number 21 and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:

SCHEDULE

Serial	Description of National Highway	Name of the
Number		State
		Government
21	So much of National Highway No.8 [Kishangarh to Ajmer (excluding from	State
	Km. 366 to Km. 396) and Ajmer to Udaipur (excluding from Km. 0 to Km.	Government
	263.500)], No.11 [excluding from Km. 42.525 to Km. 228.000 (UP/	of Rajasthan
	Rajasthan Border-Bharatpur-Mahua-Jaipur)], National Highway No.11A,	
	No.11B, No.12, No.14 [excluding from Km. 246.800 to Km. 306.000	
	(Pindwara-Rajasthan/Gujarat Border section)], No.15, No.65, No.79	
	(excluding from section Nasirabad to Chittorgarh) and National Highway	
	No.89, No.90, No.112, No.113 as are situated within the State of Rajasthan	
	and National Highway Nos 114 and 116.	

(f) for serial number 24 and the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:

SCHEDULE

Serial Number	Description of National Highway	Name of the State Government
Number 24	So much of National Highway No.2A, No.7, No.11 [excluding from Km 17.756 to Km 42.525 (Agra - UP/Rajasthan Border)] No.19, No.24 [excluding from km. 27.62 to km. 166.65 (Ghaziabad to Moradabad including Hapur and Moradabad bypasses) and R.O.B. at km. 180.325], and from Km 488.27 to Km 413.20 (Lucknow - Sitapur)], No.27 [excluding from Km. 0.000 (Km. 211.700 of NH No.2) to Km. 5.410 (new alignment of NH 27)], No.28B, No.58 [excluding from Km. 52.250 to Km. 131.000 (Meerut-Muzaffarnagar)], No.72A, No.73, No.74, No.75 [excluding from km. 90.00 to km. 103.00 (section from Madhya Pradesh/Uttar Pradesh border to Jhansi)], National Highway No.76, No.86, No.87 (excluding a Minor bridge at Km. 8 and a Major bridge at km. 30.050), No.92 and No.119 as are situated within the State of Uttar Pradesh and National Highways No.24A, No.29 (excluding Gorakhpur-Pharenda-Sonauli section), No.56, No.91, No.91A, No.93, No.96 and National Highway No.97.	State Government of Utta Pradesh

[F. No. NH-14012/16/2005-P&M] PRABHAKAR, Dy. Secy.

Foot Note: The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 1096 (E) dated the 4th August 2005 and subsequently amended vide number SO 1398(E), dated the 27th September 2005.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2005

का.आ. 1585(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे सारणी (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सारणी कहा गया है) के स्तंभ (1) में यथावर्णित राष्ट्रीय राजमार्ग की उक्त सारणी के स्तंभ (2) में उनके सामने यथा उल्लिखित तत्स्थानी सेक्शन के उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट भूखंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है।

सारणी

राष्ट्रीय राजगार्ग सं0	सेक्शन	भूखंड किलोमीटर में
(1)	(2)	(3)
1	जालंधर- अमृतसर	407.100 किमी से 456.100 किमी तक
3	इंदौर-खलघाट	12.60 किमी से 84.70 किमी तक
6.	नागपुर-कोंधाली-तालेगांव	9.20 किमी से 100.00 किमी तक
11	आगरा-भरतपुर	17.756 किमी से 63.000 किमी तक
21	अम्बाला-चंडीगढ	0.000 किमी से 0.871 किमी तक
22	अम्बाला- चंडीगढ़	5.735 किमी से 39.961 किमी तक
24	लखनऊ-सीतापुर	488.27 किमी से 413.20 किमी तक

[फा. सं. रा.रा.-14012/16/2005-पीएर्ण्डएम]

प्रभाकर, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2005

S.O. 1585(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988(68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretches, specified in column (3) of the Table below (hereinafter referred to as the said Table) of the corresponding Section as mentioned against it in column (2) of the said Table, of the National Highways as described in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India.

TABLE

National Highway No.	Section	Stretch in Kilometer
(1)	(2)	(3)
1	Jhalandhar - Amritsar	Km.407.100 to Km 456.100
3	Indore - Khalghat	Km.12.60 to Km 84.70
6	Nagpur - Kondhali- Talegaon	Km.9.20 to Km.100.00
11	Agra-Bharatpur	Km.17.756 to Km 63.000
21	Ambala - Chandigarh	Km.0.000 to Km 0.871
22	Ambala - Chandigarh	Km.5.735 to Km 39.961
24	Lucknow - Sitapur	Km.488.27 to Km 413.20

[F. No. NH-14012/16/2005-P&M] PRABHAKAR, Dy. Secy.